भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 464
दिनांक 09.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पर हमला

464. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री रवि किशनः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अन्य देशों में मंदिर/गुरुद्वारों पर लगातार हो रहे हमलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन हमलों में कितने लोग मारे गए और घायल हुए हैं;

(ग) क्या इसके लिए पाकिस्तान या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे को विदेश की सरकारों के समक्ष उठाया है और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं और

(च) सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों के कल्याण के लिए कौन- कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[वी. मुरलीधरन]

(क) से (च) पाकिस्तान में, अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक पूजा स्थलों के बार-बार विखंडन और तोड़फोड़ करने की घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं। पिछले तीन वर्षों की घटनाओं की रिपोर्टों में गुरुद्वारा ननकाना साहिब, सिंध में गुरुद्वारा श्री गुरु हरकिशन साहिब, लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा, मीरपुर मथेलो में शिव मंदिर, थरपारकर में हिंदू मंदिर, कराची में श्री मारी माता मंदिर, लरकाना में संत मोहन दास मंदिर, हैदराबाद में हिंदू मंदिर में

तोड़फोड़ और विखंडन करने और सिंध के शिकारपुर में संत बाबा जयरामदास समाधि आश्रम में सोने की प्रतिमा की चोरी की घटना शामिल हैं।

सरकार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न की रिपोर्टों के आधार पर ऐसे सभी मामलों को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया है और इसे अपने अल्पसंख्यक समुदायों और उनके धार्मिक पूजा स्थलों की सुरक्षा, हिफाजत और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। पाकिस्तान को भी इस तरह के घृणित और जघन्य कृत्यों के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान सरकार का उत्तरदायित्व है कि अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करे, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं।

जहां तक पाकिस्तान में भारतीयों का संबंध है, इस्लामाबाद में स्थित हमारे उच्चायोग के माध्यम से सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार पाकिस्तान की हिरासत में रखे गए भारतीय कैदियों के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। 01 जुलाई 2022 को साझा की गई सूचियों के अनुसार पाकिस्तान ने भारतीय या भारतीय माने जाने वाले 49 सिविलियन कैदियों और 633 मछुआरों की हिरासत को स्वीकार किया है। जैसे ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ने की सूचना मिलती है, इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय मिशन द्वारा पाकिस्तान सरकार से कोंसली सहायता प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई के साथ-साथ उनकी स्वदेश वापसी के लिए कानूनी सहायता सहित हर संभव मदद प्रदान की जाती है । सरकार निरंतर पाकिस्तान में मौजूद भारतीय मछुआरों की रिहाई तक उनकी सलामती, सुरक्षा और हिफाजत के मामले को उठाती है।

भारत 2014 से लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान की हिरासत से 2700 से अधिक भारतीय कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी कराने में सफल रहा है। भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद शेष भारतीयों को शीघ्र कोंसली सहायता प्रदान करने और उनको रिहा करने तथा स्वदेश भेजने की मांग की है।

अफगानिस्तान के मामले में, मार्च 2020 में काबुल में गुरुद्वारा हर राय साहिब और 18 जून 2022 को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता साहिब श्री गोबिंद साहिब जी पर हमले हुए। इन हमलों में लगभग 25 लोगों की जान चली गई और लगभग 11 लोग घायल हो गए जिसमें एक भारतीय भी शामिल है । भारत ने निर्दोष नागरिकों पर हुये दोनों कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है।

अफगानिस्तान में विशेषकर 15 अगस्त 2021 के बाद से तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, भारतीयों की स्वदेश वापसी सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश मंत्रालय में एक 24 x 7 विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान के तहत भारत सरकार ने सात उड़ानों द्वारा कुल 669 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जिसमें 448 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारत वापसी की मांग करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके अलावा, अफगान सिख समुदाय के सदस्यों को तुरंत ई-वीजा जारी किया गया ताकि वे भारत आ सकें।

सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के कल्याण, सुरक्षा और सलामती को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित किया है । ई-माइग्रेट प्रणाली, मदद पोर्टल, भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, भारतीय मिशनों और केन्द्रों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र हेल्पलाइन, मिशनों और केन्द्रों द्वारा आयोजित ओपन हाउस कार्यक्रम, आश्रय गृह आदि विदेशों में भारतीय प्रवासियों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तंत्र हैं। इसके अलावा सरकार ने खाड़ी देशों सहित प्रमुख गंतव्य देशों के साथ श्रम, रोजगार और सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय कामगारों के शिकायतों के निवारण और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें आयोजित की हैं।

सरकार विदेशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा, हिफाजत और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है।

*****